भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
भारतीय न्याय संहिता, 2023
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

'ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है'

संसद में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के भाषण

प्रस्तावनाः श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

भाजपा प्रकाशन विभाग

श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारी सरकार ने तीन नए बिल— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रस्तुत कर, औपनिवेशिक अतीत के बोझ को दूर करने की दिशा में एक लंबी छलांग लगायी है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संसद में पेश किए गए तीन बिल अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे, जो 'न्याय' देने के सिद्धांत से प्रेरित हैं। विभिन्न उपायों के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी दोहराते है।

इसके अलावा, हम जिस तकनीकी रूप से उन्नत युग में रह रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए, ये बिल हमारी कानूनी प्रणालियों को प्रौद्योगिकी के प्रति अत्यधिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा हार्दिक आभार क्योंकि वह आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के साथ हमारे देश को अमृत काल की यात्रा में ले जा रहे हैं।

21 दिसंबर, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
भारतीय न्याय संहिता, 2023
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

'ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है'

संसद में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के भाषण

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रकाशकीय

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संसद द्वारा पारित होने के साथ ही गुलामी की मानसिकता से मुक्त दंड न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन विधेयकों से भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होंगे, पूरी दंड न्याय प्रक्रिया गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आधुनिक न्याय प्रणाली का निर्माण होगा। इन विधेयकों से न केवल महिलाओं एवं अवयस्क बालक-बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि वर्तमान सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप नए प्रकार के अपराधों से निपटने, गिरफ्तारी, जांच-पड़ताल एवं परीक्षण के लिए एक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष प्रक्रिया का भी निर्माण होगा, जो भारतीय मूल से जुड़ा होगा।

इन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने के पश्चात् दोनों सदनों में व्यापक चर्चा हुई तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चर्चा का उत्तर देते हुए विस्तृत रूप से इनकी व्याख्या की एवं सभी शंकाओं का निराकरण किया। लोकसभा एवं राज्यसभा में उत्तर देने के क्रम में दिये गये उनके भाषणों का हम संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं। इस पुस्तिका के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'प्रस्तावना' लिखकर हमें अनुगृहीत किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। आशा है हमारे पाठकगण इस पुस्तिका से इस विषय की गहरी समझ प्राप्त करेंगे।

प्रकाशक

भाजपा प्रकाशन विभाग

मार्च, 2024 6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में व्यापक सुधार का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अमृतकाल में विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 'पंच प्रण' के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज देश औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर स्व-शक्ति के आधार पर दासता के हर चिन्ह से मुक्त होने के लिए कृत-संकल्पित है। इसी क्रम में संसद के शीतकालीन सत्र में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु लाए गए कानून हमें औपनिवेशिक मानसिकता से निकालकर पूरी न्याय व्यवस्था को भारतीयता के आधार पर परिभाषित करेंगे। यह विचित्र विडंबना है कि लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाए गए कानून अभी तक देश की न्याय व्यवस्था को चला रहे थे और इसका दुष्परिणाम आम-जन को भुगतना पड़ रहा था। नए कानून भारतीयता के आधार पर बने हैं एवं भारतीय आवश्यकताओं, आधुनिकता तथा न्याय की भारतीय अवधारणा को परिलक्षित करते हैं।

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023— ये तीनों कानून भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात करेंगी। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत के आधार पर गहन विचार-विमर्श एवं व्यापक मंथन के बाद इन कानूनों की रचना हुई है। ये तीनों कानून अनेक राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक अकादमियों, विधि विशेषज्ञों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, सांसदों, विधायकों की विभिन्न अनुशंसाओं के आधार पर एक सार्वजनिक सहमति के परिणाम हैं।

इन कानूनों के लागू होने से न्याय प्रक्रिया का आधुनिकीकरण तो होगा ही, साथ ही नये डिजिटल युग की आवश्यकता के अनुरूप जांच, पूछताछ, परीक्षण एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली एवं फॉरेंसिक विज्ञान का उपयोग भारतीय न्याय व्यवस्था को अत्याधुनिक बना देगा।

इन कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका मूल सिद्धांत 'औपनिवेशिक राज' की रक्षा करने के स्थान पर लोकतांत्रिक आधार पर विधि-व्यवस्था एवं न्यायिक प्रक्रिया के मानवीयकरण करने का है। ये कानून 'दंड' देने की अवधारणा पर नहीं, बल्कि 'न्याय' देने की अवधारणा पर आधारित हैं।

इसलिए ये कानून आम-जन, महिलाएं, बच्चे, वंचित, पीड़ित व गरीबों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, साथ ही इनसे उनको न्याय मिलना सहज, सरल एवं सुलभ हो जाएगा।

पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए समय-सीमा का निर्धारण एवं जीरो-एफआईआर जैसी व्यवस्थाएं आम-जन को भारी राहत तो देंगी ही, साथ ही हमारी न्याय व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त एवं अत्यधिक सजग बनाएंगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तीन कानूनों को पहले लोकसभा एवं बाद में राज्यसभा में प्रस्तुत कर चर्चा का उत्तर दिया। संसद के दोनों सदनों में उन्होंने इन कानूनों के पीछे की दृष्टि, उद्देश्य एवं आने वाले समय में उसके प्रभाव की विस्तृत विवेचना की है। इसके अलावा श्री शाह ने इन कानूनों के विषयों में कई प्रश्नों एवं शंकाओं का समुचित उत्तर देकर सभी संशय को दूर किया है। मैं भाजपा प्रकाशन विभाग को उनके इन भाषणों पर आधारित इस पुस्तिका को प्रकाशित करने पर बधाई देता हूं। आशा है, इस पुस्तिका से सभी सुधी पाठक लाभान्वित होंगे।

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

मार्च, 2024

अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय

प्रस्तावना

लोकसभा
ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके
सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा हैः अमित शाह 08

राज्यसभा
'यह कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा
की मूल भावना पर बना है' 45

लोकसभा

ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है: अमित शाह

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का उत्तर दिया। सदन ने चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कर दिया। श्री अमित शाह के उत्तर का सारांश इस प्रकार है–

महोदय, मेरे लिए यह बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने तीन विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं।

यह एक ऐसा मौका है, जब हमारा संविधान अगले वर्ष 75 साल पूरे कर लेगा। यह एक ऐसा मौका है, जब अभी-अभी आपकी अध्यक्षता में ही इस संसद ने इस देश की मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सदनों में कानून बनाने में इनकी हिस्सेदारी तय की है। उसी समय, इस ऐतिहासिक सदन में करीब-करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) को गवर्न करते हैं, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं।

'इंडियन पीनल कोड' वर्ष 1860 में बना। उसका उद्देश्य ही दंड देना था। उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह 'भारतीय न्याय संहिता, 2023', इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। 'क्रिमिनल

प्रोसीजर कोड, 1898' की जगह 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023', इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। 'इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872' की जगह 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' अमल में आएगा।

कई लोगों से मैं, इस बिल को स्टैण्डिंग कमेटी में भेजने के बाद मिला। वे आज यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परन्तु मुझे कहते थे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर वे आज सुनते तो उन्हें मालूम पड़ता कि क्या फर्क पड़ेगा? एक बेजान मुर्दा पड़ा है। अगर उसमें आत्मा होती है तो वह जिंदा इन्सान बनता है, इतना आमूल-चूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कानून के अन्दर होना है। श्री तालारी रंगैय्या से लेकर हेमा जी तक 35 सांसदों ने इसके ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने उन सभी को ध्यान से सुना है। ज्यादातर किसी के सुझाव बदलाव के लिए नहीं हैं। कुछ सुझाव बदलाव के लिए भी हैं, मगर कुछ चीज़ें जो उठायी गयी हैं, उनके बारे में मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद वे इनकी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग, चाहे ओवैसी साहब हों, या एक-दो और हैं, जिनकी चिंता ही ऐसी है, जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। उनकी चिंता इस कानून से बड़ी है। इसलिए ऐसी चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, परन्तु स्पष्टता से काफी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं तीन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स लेकर भी आऊंगा, जो मैं बाद में बताऊंगा।

> **अब ये जो कानून आ रहे हैं, वे हमारे संविधान की मूल तीन चीजों— व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून हैं**

औपनिवेशिक कानूनों से देश को मुक्ति

तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बने थे, जैसा मैंने कहा कि ये 150 साल पुराने कानून हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिह्न इस देश से जल्दी से जल्दी मिट जाएं और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि औपनिवेशिक कानूनों

से इस देश को जल्दी मुक्ति मिलनी चाहिए और उसी के तहत गृह मंत्रालय ने इसमें परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2019 से गहन विचार-विमर्श चालू किया था।

ये जो कानून थे, इनको एक विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए थे। ये एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। इनकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं, वे हमारे संविधान की मूल तीन चीजों— व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून हैं। यह इसका मूल परिवर्तन है, जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए हैं।

हमारे यहां न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे यहां न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित है – व्यास, अत्री, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वात्स्यायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि आदि इन सभी विद्वानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं, जो मूल भारतीय विचार हैं।

> हमारे यहां दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं

अगर पहले वाले तीनों कानूनों को ध्यान से देखते हैं तो उनके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही माना जाता है। हमारे यहां, हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उपजी है। पाश्चात्य विचारों के, जो ये अंग्रेज़ी शासन में लाए गए कानून थे, उनमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है। हमारे यहां दंड इसलिए दिया जाता है कि जो 'विक्टिम' है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं। और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना और उस दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए यह दंड का प्रावधान है। मैं ये जो नए तीन विधेयक ले कर आया हूं, वे मूल भारतीय

न्याय के संहिता की आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले विधेयक हैं और सत्य अर्थ में आज़ादी के इतने सालों के बाद, पहली बार तीनों अपराधिक कानूनों का, अपराध के सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का मानवीयकरण होगा।

गुलामी की मानसिकता एवं उसके चिन्हों से मुक्ति

इन कानूनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके अंदर आज तक, जब तक यह सदन रिपील नहीं करेगा, तब तक यूनाइटिड किंग्डम की संसद द्वारा बनाया हुआ कानून आज हमारे कानूनों में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन शब्द भी तब का शब्द है, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गज़ट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गज़ट के ज़िक्र, बिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर आदि जैसे शब्दों के प्रयोग का ज़िक्र आज़ादी के 75 सालों तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानूनों को गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया है।

> **अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, उस कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था**

ये नए कानून जब बनाए थे, तब ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले थे, वे समझ ही नहीं पाते थे कि हम फ़र्क क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे, तो वहीं मालूम पड़ जाएगा कि ये पहले वाले तीन कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे। ये कानून अंग्रेज़ों के राज की सुरक्षा के लिए बने थे।

अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, उस कानून में मानव हत्या और

किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव हत्या तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा-बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा के लिए प्रायोरिटी क्या थी? मानव हत्या नहीं था, किसी महिला के साथ हुए दुर्व्यहार व अत्याचार का न्याय दिलाना नहीं था, प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश राज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब इसे पूरा का पूरा बदलकर, सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद सेना, नौसेना, वायु सेना से संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्टोरल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकार स्टाम्प के साथ छेड़खानी को लिया गया है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं। मुझे गौरव है कि इन तीनों कानूनों को डेढ़ सौ साल के बाद बदलने का और उस बिल को पायलट करके इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं। मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी नहीं समझ में आएगा। मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहां का है तो तुरंत समझ में आ जाता है। मन अगर यहां का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा।

> आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है

एक आइडियोलॉजी है— भारत का उत्कर्ष

इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या

अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूप होल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए।

इसके साथ-साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम, पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राजकर्त्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था, तो उसके ऊपर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की रक्षा इस लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। यह दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम यह कानून करेगा।

> हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है— भारत का उत्कर्ष। यह भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र आइडियोलॉजी है

इस कानून में आज मैं इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशंस जितने भी होंगे, उनकी कल्पना करके हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्जित करने के लिए सारे प्रोविजन्स इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं। सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल्दी न्याय व्यवस्था मिले, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर 'मॉब-लिंचिंग' का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे, तो मॉब-लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, न आप हमारी पार्टी को समझते हैं और न हमारे सिद्धांतों को समझते हैं। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है— भारत का उत्कर्ष। यह भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र आइडियोलॉजी है। मॉब-लिंचिंग घृणित अपराध है। उसके लिए हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान करके इंक्लूड कर रहे हैं। मगर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने भी इस देश

में 70 सालों में 58 साल शासन किया है। आप मॉब-लिंचिंग के लिए बिल क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए, तब लाए। मॉब-लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तो भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है। इसीलिए, आप उस ओर बैठे हैं और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हैं।

यह जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का डर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अन्दर किए हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन्स किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस करके उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों के बर्डेन में कमी आ जाएगी।

ये तीनों कानून, जैसा मैंने कहा कि 150 साल के बाद बदले जा रहे हैं और देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले कानून हैं। इन कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है

व्यापक चर्चा के आधार पर बना कानून

ये तीनों कानून, जैसा मैंने कहा कि 150 साल के बाद बदले जा रहे हैं और देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले कानून हैं। इन कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है। इसलिए, यह बहुत जरूरी था कि इस पर एक व्यापक बहस की जाए और समाज के हर वर्ग से और जो-जो लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उन सभी से, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से, सभी विधान सभा के सदस्यों से भी चर्चा की जाए।

इसलिए, वर्ष 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और सितम्बर, 2019 में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स

और विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। ये सुझाव आने के बाद वर्ष 2021 में मैंने स्वयं सभी सांसदों को पत्र लिखा और सुझाव मांगे। वर्ष 2020 में सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए। बीपीआरएंडडी ने देश के सभी आईपीएस आफिसर्स से सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय ने देश के सभी कलेक्टर्स से सुझाव मांगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट भी इसका बड़ा हिस्सा होता है। मार्च, 2020 में इन सारे सुझावों को नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर संकलित किया। उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकैडमीज़, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सदस्य और लगभग 1000 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे।

कुल 3,200 सुझाव एकत्रित हुए, जिनको फुल स्टॉप, कोमा में पढ़कर, इसको रखना है या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। तीनों कानूनों को मैंने स्वयं लाइन बाई लाइन नहीं, फुल स्टॉप, कोमा में पढ़ा है। 158 सिटिंग मेरी खुद की हुई हैं, सुझावों को समाहित करने के लिए और कानूनों में सरलता बढ़ाने के लिए और यह सब करके हम यह कानून लेकर आए हैं। 11 अगस्त, 2023 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीन विधेयकों को मैं यहां लेकर आया। उनको गृह विभाग की संसदीय स्थायी समिति को विचार हेतु भेज दिया। वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई। 10 नवम्बर, 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्य सभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामैटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, इस सबको सुधारने के लिए माननीय संसद सदस्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे। इसलिए, उसको जस का तस रखने की जगह, मैं पुराना बिल विदड्रा करके नया बिल लेकर आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार-विमर्श के बाद मैंने यह बिल सदन

मोदी जी के नेतृत्व में जो तीन कानून आये है, न्याय, समानता और निष्पक्षता, तीन मूल सिद्धांतों के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है

के सामने रखा है।

न्याय, समानता एवं निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों के आधार पर बड़ा परिवर्तन

मोदी जी के नेतृत्व में जो तीन कानून आये है, न्याय, समानता और निष्पक्षता, तीन मूल सिद्धांतों के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नये-नये इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना करके अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए गए हैं। फॉरेन्सिक साइंस को बहुत तव्वजो दी गई है। इन कानूनों के माध्यम से लोगों को जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम इन कानूनों के माध्यम से हुआ है।

हमने कहा था कि धारा 370 और 35ए हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी, सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं, इसकी जगह 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नयी धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नये सब-सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नये प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह 'आईपीसी' की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थीं, इसकी जगह अब 358 रह गई हैं, 21 नये अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 42 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड देने का काम किया गया है, 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नयी उप-धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराओं

को हटाने का काम किया गया है।

नरेन्द्र मोदी सरकार जो कहती है, सो करती है

मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद एक लंबे अर्से बाद, अटल जी की सरकार ने भी प्रयास किया, परंतु मिली-जुली सरकार की कई कठिनाइयां होती हैं, मगर लंबे समय के बाद, दो बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी, जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है। जिस मैनिफेस्टो को मैनडेट दिया है, उसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था कि धारा 370 और 35ए हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी, सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण तीन हॉट स्पॉट जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी आई है और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है। पूर्वोत्तर से 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र से अफस्पा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडे में रखा था कि हम 'अफस्पा' हटाएंगे, वे ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाएं। हमने नहीं रखा था, 'अफस्पा' को हटाया नहीं है, लेकिन इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त की है क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई है।

> हमने कहा था कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आयी, केवल तिथियां निकालती रह गई, हमने आरक्षण दे भी दिया

हमने कहा था कि अयोध्या में जितनी जल्दी हो सकेगा, राम मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी वहां राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो कहती है वह करती है। हमने कहा था कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आयी, केवल तिथियां निकालती रह गई, हमने आरक्षण दे भी दिया और सर्वानुमति से देकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया है।

तीन-तलाक मुस्लिम माताओं और बहनों के साथ अन्याय करता है, हमने कहा था कि उसे समाप्त कर देंगे और हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय, न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान् राजनाथ सिंह जी घोषणा-पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज यहां हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है कि माननीय मोदी जी ने पार्टी के वादे को पूरा करने का काम किया।

राज्य का सबसे पहला कर्तव्य न्याय है

'न्याय' अम्ब्रेला-टर्मिनोलॉजी है। न्याय सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की कई परिभाषाएं रखी गई हैं और ढेर सारे अनुच्छेदों, जैसे 38, 39, 142 में इसका जिक्र भी किया गया है। जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। न्याय अनेक प्रकार के हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि बड़ी पवित्र संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की है। जनता डे-टू-डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। आज मैं तीन बिल लेकर आया हूं। माननीय मोदी जी से सालों से देश की जनता ने अपेक्षा की थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, दंड नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, यह सब इस बिल के माध्यम होगा।

> हमने इन्वस्टिगेशन में फोरेन्सिक साईंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है, ब्लात्कार की पीड़िता का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कम्पलसरी किया है

राज्य का सबसे पहला कर्तव्य न्याय है। लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं– न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने इन तीनों के बीच काम का बंटवारा किया है। आज पहली बार तीनों मिलकर 'दंड' केंद्रित नहीं, बल्कि 'न्याय' केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम साबित होंगे। आपकी अध्यक्षता में यहां पर कानून

बनेगा, इसका इम्पलीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और बाकी का इम्पलीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। तीनों अंग इकट्ठे होकर देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली प्रस्थापित करेंगे।

'इज ऑफ जस्टिस' को साकार करने वाला बिल

जैसा मैंने कहा कि न्याय एक अम्ब्रेला टर्म है। 'न्याय' कहते हैं तो यह बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है, इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और 'दंड' कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। मैं नए कानून में संतुलन बनाकर लाया हूं। यहां पहले दंड देने की सैंट्रलाइज सोच वाले कानून थे और अब 'विक्टिम सैंट्रिक' जस्टिस का उद्भव होने जा रहा है। 'ईज़ ऑफ जस्टिस' को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। एन्फोर्समेंट के लिए निष्पक्ष समयबद्ध एविडेंस बेस स्पीडी ट्रायल होगा, इससे कोर्ट तथा प्रिज़न का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेश्यो भी बढ़ने वाला है।

> इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व व उसे कम्पल्सरी करने का काम किया गया है, क्योंकि न्याय प्रणाली में किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो जाए या किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों केसों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है

कई लोगों ने अलग-अलग सुझाव दिए हैं। मैं बिल के बारे में बताकर इनका जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बिल लेकर आया हूं, यह नई चीजों को जगह देने वाला बिल है, इस सबका उपयोग करने वाला बिल है। हमने इन्वस्टिगेशन में फोरेन्सिक साईंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है, बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कम्पलसरी किया है। मैं बताऊंगा कि कई जगहों पर कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और साथ कोर्ट में समय को कम करने के प्रावधान किए हैं।

देश में अभी तीन प्रकार की न्याय प्रणाली हैं। कहीं मेट्रो जज होते हैं और

कहीं नहीं होते हैं, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। इस कानून के पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक सारे देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी।

इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व व उसे कम्पल्सरी करने का काम किया गया है, क्योंकि न्याय प्रणाली में किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो जाए या किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों केसों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वे ही करते हैं। वह जो गलती हुई है मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही निर्णय करते हैं कि अपील करनी है या नहीं करनी है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पर भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ केस में अपील करने लायक है या नहीं है, उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रॉजीक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा, जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है।

> **अब कोई भी मुकदमा विक्टिम की परमिशन के बगैर, उसे सुने बगैर कोर्ट केवल स्टेट के कहने पर विदड्रॉ नहीं कर सकती है। जो विक्टिम है, उसे सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा**

पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय होगी

पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की गई है। जैसे कि इस देश की अदालतों में हेबियस कॉर्पस ढेर सारी होती हैं। परिवार के लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी कहां हैं, हमें मालूम ही नहीं है। पुलिस कहती है कि हमारे पास नहीं हैं। अब तय कर दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा।

इसी तरह कुछ मैं आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन ढेर सारी चीजों में हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम भी इस कानून के माध्यम से किया है और विक्टिम सेंट्रिक कानून की बात जब मैं करता हूं, तब हमने ढेर सारे विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 खण्ड के तहत अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इन्फॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 193 और 230 में दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा विक्टिम की परमिशन के बगैर, उसे सुने बगैर कोर्ट केवल स्टेट के कहने पर विदड्रॉ नहीं कर सकती है। जो विक्टिम है, उसे सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी पुलिस की निर्धारित की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, इन सभी की कॉपी को कम्पल्सरी देने का प्रॉविजन इसके अंदर कर दिया गया है। जांच और मुकदमों के विभिन्न चरणों में पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रॉविजन किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी।

पहली बार नरेन्द्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया कि राजद्रोह की धारा 124 (क) को पूर्णतया समाप्त कर दिया

मानव संबंधी अपराधों को प्राथमिकता

मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से इस सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा। जैसा मैंने कहा कि इसमें मानव संबंधित ढेर सारे अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे आईपीसी में बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 में था, अब जहां से अपराधों की बात शुरु होती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 से धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंगरेप

को भी आगे लाया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर की धारा 302 थी, जो अब धारा 101 हुई है। किडनैपिंग की धारा 359 और धारा 369 थी, जो अब धारा 137 से धारा 140 हुई हैं। ट्रैफिकिंग की धारा 370 और 370 (ए) थी, जो अब धारा 143 से धारा 144 हुई है।

शुरुआत की डेफिनिशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधे मानव संबंधी- पहले महिला और बच्चे, उसके बाद शरीर संबंधी अपराधों को हमने प्रायॉरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं। उसको सुनिश्चित करना इन कानूनों की प्रायोरिटी है।

अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बड़े-बड़े नायक सालों-साल, तक जेल में रहे। वह कानून अभी तक चलता आ रहा था। जब ऑपोजिशन में होते थे तो विरोध करते थे। मगर, सत्ता में आते थे, तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं लेते थे। पहली बार नरेन्द्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया कि राजद्रोह की धारा 124 (क) को पूर्णतया समाप्त कर दिया।

> अगर कोई कहता है कि सशस्त्र विद्रोह, बम-धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए तो मैं इस विचार से इतेफाक नहीं रखता हूं। उसको जेल में जाना ही चाहिए

'राजद्रोह' की जगह देशद्रोह

ओवैसी साहब, मैंने भी थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी है, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। इनके मन में है कि आपने बदलकर रख दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह रखा है। अब यह देश आजाद हो चुका है। यह लोकतांत्रिक देश है। शासन पर टीका-टिप्पणी तो कोई भी कर सकता है। वह किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन हो। मैं फर्क समझता हूं। इस देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। इस देश के हितों को कोई नुकसान

नहीं कर सकता है। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं और इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में डालेंगे। उसको जेल में जाना चाहिए। यह हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए और सुप्रीम होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए, हम राजद्रोह हटाकर देशद्रोह की धारा लाए हैं। इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा।

आईपीसी 124ए में शब्द प्रयोग था, 'सरकार के खिलाफ की गई बात', मेरी बात सभी माननीय सदस्य ध्यान से सुनें, अंग्रेजों ने अपने बनाए हुए कानून में लिखा था, 124ए 'सरकार के खिलाफ की गई बात', बीएनएस धारा 152, जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग होगा। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है और भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन्न या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की, करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह के डेफिनेशन में आशय की बात की है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अगर उद्देश्य शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन से घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां हैं। अगर कोई कहता है कि सशस्त्र विद्रोह, बम-धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए तो मैं इस विचार से इतेफाक नहीं रखता हूं। उसको जेल में जाना ही चाहिए और उसको सजा होनी ही चाहिए। इस

अब पॉक्सो अप्लाई करें या न करें, बलात्कार करने मात्र से ही पॉक्सो की सभी धाराएं इस न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएंगी और उनको सजा मिलेगी

देश में किसी को यह अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग नये इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हों। हम तो संविधान की स्पिरिट को आगे लेकर चलने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो कुछ करेगा, उसको जरूर सजा होगी। ऐसा कानून में होना चाहिए।

आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रजों को देश से निकालने के लिए राजद्रोह की कानून के तहत अपने जीवन के स्वर्णकाल जेल में काटे, आज नरेन्द्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से उनकी आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में आज न्यायिक प्रोविजन हुआ है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित

हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को जोड़ा है।

आईपीसी की धारा 366 (ए) में भी नाबालिक लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र करके हमने इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया है

हम इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिक महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे, जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको पुलिस स्टेशन में फेवर किया जाता था। वहां पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करें या न करें, बलात्कार करने मात्र से ही पॉक्सो की सभी धाराएं इस न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएंगी और उनको सजा मिलेगी। आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों को बलात्कार के लिए हमने अलग-अलग सजा का निर्धारण किया है। हमने 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया

है। उनको फांसी की सजा मिलेगी। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में हमने फिर से फांसी की सजा को इसमें रखा है।

बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनॉमली थी। सहमति से बलात्कार के केस में 15 वर्ष की जो आयु डाली गई थी, हमने उसको बढ़ाकर 18 साल किया है। अगर 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा, तो वह माइनर रेप के दायरे में आ जाएगा।

इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगहों पर कई सारी चीजें छूट गई थीं। लड़के और लड़कियों का व्यापार, जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था। उसमें लड़कों को भी जोड़ दिया गया है। आईपीसी की धारा 366 (ए) में भी नाबालिक लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र करके हमने इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया है।

जो कोई भारत की एकता, अखण्डता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर, और साइड से उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा

आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस'

आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद और एक लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाने के बाद, 75 सालों के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है। इस देश की जनता से हमारा वादा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, लेकिन आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। मैं कुछ सांसदों की बातों का जवाब बाद में दूंगा। उन्होंने कहा कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थीं, वहां 'यूएपीए' को नहीं लगाते थे। आतंकवादी कृत्य करके सादे गुनाह की सजा में निकल जाते थे। अब हमने इस मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र करके ऐसे लोगों को जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग-लगभग असंभव कर दिया है। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है, यहां बताया भी है। मैंने भाषण पढ़े हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के

कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं हैं और इस सम्माननीय सदन का कोई व्यक्ति उसका मानव अधिकारों के नाम पर विरोध करे, आतंकवादी ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जो इसका विक्टिम होता है, मानव के अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिले।

मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। अगर मैं यहां बैठा होता, तो टोकता भी रोकता भी और प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया जाए। आप एक्सपोज़ हो रहे हैं। मगर मैं यहां नहीं था, मैंने उसको पढ़ा। आप किसका बचाव करते हैं? किस जमाने में जी रहे हैं? ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी का शासन है। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएंगी। परंतु इसका दुरुपयोग न हो, उसके लिए हमने इसकी व्याख्या भी बड़ी स्पष्ट की है।

कई राज्य और राज्येतर गैंग्स संगठित अपराध करती हैं। इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, भूमि हथियाना, हथियारों के व्यापार, डकैती और मानव तस्करी को रखा है

आतंकवाद की व्याख्या

इसकी व्याख्या की है कि जो कोई भारत की एकता, अखण्डता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर, और साइड से उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया गया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ऐसी घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। क्या इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश है? मन में एक भय पड़ा हुआ है। उस भय से यह विरोध जन्म लेता है। मैं तो मानता हूं कि यह भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं, उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। उनके लिए कठोर से कठोर कानून का प्रावधान

होना चाहिए। यह नरेन्द्र मोदी सरकार का उचित निर्णय है कि आतंकवाद के लिए हमने इस कानून में जगह दी है।

उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है तो हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसी के ग्रीवेंसेज़ हैं तो आतंकवाद को रोकने का प्रोविज़न कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। इसमें धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांशा करेगा। अगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को, जिसे मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और इस सदन से जीरो टॉलरेंस का संदेश जाना चाहिए।

नस्ल, जाति, समुदाय या किसी संख्या के आधार पर एक टोला बनाकर किसी को मार दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है

संगठित अपराध की व्याख्या

संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्येतर गैंग्स संगठित अपराध करती हैं। इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, भूमि हथियाना, हथियारों के व्यापार, डकैती और मानव तस्करी को रखा है। हमने आर्थिक अपराध की व्याख्या भी की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, हवाला व्यवहार, बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास को आर्थिक अपराध की व्याख्या में पहली बार लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे न्यायपालिका का काम

काफी सरल हो जाएगा। मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या, जिसको अकस्मात् कहते हैं, हमने इसमें दो हिस्से किए हैं। अकस्मात् तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकती है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, रास्ते में उसका ध्यान भटक गया और कोई 'रश' करके आ गया तो अकस्मात् हो गया। अकस्मात् होने के बाद अगर वह व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन केस में कोई मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजा का प्रावधान किया है। मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केसेज़ में काफी कमी आएगी। अगर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु होती है तो वह भी गैर इरादतन हत्या में आ जाता है। इसकी भी सजा बढ़ गई। मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा और डॉक्टर्स को दो साल तक की सजा कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत की थी। हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है।

पुलिस द्वारा दंडिक कार्रवाई—सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं है। आप एक कम्प्लेंट देते हैं, जिसका संज्ञान वे दस साल बाद भी ले सकते हैं। अब तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी, अगर प्राथमिक जांच हो चुकी है

'मॉब–लिंचिंग' का नया प्रावधान

'मॉब-लिंचिंग' का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी संख्या के आधार पर एक टोला बनाकर किसी को मार दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था। 'चैन स्नैचिंग' होते थे, मोबाइल स्नैचिंग होते थे और अलग-अलग धाराओं में, अंत में, कानून में गैप का फायदा उठाकर वे छूट जाते हैं। स्नैचिंग के लिए भी हम कानून लेकर आए हैं। गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने दो डिविजन किए हैं। किसी ने किसी के सिर पर लाठी मार दी, वह 'इंजर्ड' हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण अगर वह 'ब्रेन डेड' हो गया या अपाहिज हो गया तो इसकी

सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। सम्पूर्ण अपाहिजता या ब्रेन-डेड के केस में न्यूनतम दस साल के कठोर दंड देने का प्रावधान किया है और इसको अलग किया है। गम्भीर चोट का जो खण्ड 117 है, उसमें सात साल तक की कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी हमने ढेर सारे बदलाव किए हैं। मैंने प्रमुख बदलाव आपके सामने रखे हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करना चाहूंगा। इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा, गरीबों के लिए आर्थिक बाधा भी है। मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनायी है और गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है और न्याय भी मिलता है। परंतु न्याय मिलता ही नहीं है। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री जी बता रहे थे, जब मैं बिल पेश कर रहा था, कि वर्ष 2003 में कोई एक्सिडेंट हुआ था और साक्ष्य का कार्य वर्ष 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी यह तो अभी किसी को मालूम नहीं है। सालों तक तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। पुलिस न्यायपालिका को दोषी बताती है। सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी बताती है। पुलिस और न्यायपालिका जब बैठती है तो सरकार को दोषी बताती है। सब एक-दूसरे की पीठ के पीछे कानून का सहारा लेकर ऐसा कर रहे हैं। हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं, क्योंकि यह समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

> आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है, वह भी सात दिनों के अंदर ही करना पड़ेगा

दंडिक कार्रवाई के लिए समय का निर्धारण

पुलिस द्वारा दंडिक कार्रवाई—सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं है। आप एक कम्प्लेंट देते हैं, जिसका संज्ञान वे दस साल बाद भी ले सकते हैं।

अब तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी, अगर प्राथमिक जांच हो चुकी है। उसको कम्प्लसरी कर दिया गया है। तीन से सात साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारम्भिक जांच, आरोप सही हैं या गलत, करके एफआईआर करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारम्भिक जांच कर सकते हैं और छोटी सजा है तो तीन दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर्ड करनी होगी। सबसे पहले न्याय में समय की कटौती यहां होगी। जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी है, इसके लिए भी कोई समय का प्रावधान नहीं था। अब 24 घंटे में, तलाशी रिपोर्ट के बाद उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हैं।

मेडिकल प्रैक्टिश्नर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट- मेडिकल हुआ, लेकिन कोई समय की मर्यादा नहीं है। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वह मुक्त होगा, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी सात दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम निश्चित कर दिया है।

पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था। अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिनों के अंदर आप अपने गुनाह को स्वीकार कर लेंगे तो सजा कम होगी

पहले चार्जशीट का समय नहीं था। 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु रीइनवेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा करके सालों-सालों तक चार्जशीट लटकायी जाती थी, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते थे। हमने कह दिया है कि 60 से 90 दिन का समय तो रहेगा और 90 दिन के बाद आगे 90 दिन तक ही इनवेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इनवेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, यह हमने प्रोविजन करके ट्रायल जल्दी हो, इसके लिए शुरुआत कर दी है।

इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कब शुरू होगी, उसकी भी समय मर्यादा को तय किया गया है। अब हमने मजिस्ट्रेट साहब के साथ बाध्य कर

दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्रवाई शुरू करनी होगी। इसको लटका नहीं सकते है। हमारे यहां बहुत सारी फरियादें आती हैं, सच्चा झूठा तो भगवान जाने कि 12 बजे तक कोर्ट चलती है। 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब 14 दिनों के अंदर संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसे समाप्त करके ही जाना पड़ेगा।

आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है, वह भी सात दिनों के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले अगर एक केस में 25 आरोपी होते थे तो एक के बाद एक करके 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल की अपील करते ही जाते थे और 10 सालों तक मुकदमा चलता ही रहता था। अब जिसको भी अपील करनी है, उसे सात दिनों के अंदर ही करनी होगी और सात दिनों के अंदर ही उस पर न्यायाधीश को सुनवाई भी करनी होगी। अब ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों के अंदर केस ट्रायल पर आ जाएगा।

आज ई-एफआईआर से हर कोई एफआईआर कर सकता है तथा कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करवा सकती है। उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और दो दिनों के अंदर ही घर पर आकर उसका जवाब लेने की व्यवस्था भी महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत है

पहले 'प्ली-बार्गेनिंग' के लिए भी समय नहीं था। अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिनों के अंदर आप अपने गुनाह को स्वीकार कर लेंगे तो सजा कम होगी। 'प्ली-बार्गेनिंग' को 30 दिनों के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया को भी कंपलसरी 30 दिनों में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है। अब उसमें आप देरी नहीं कर सकते हैं।

ट्रायल इन–एबसेंशिया का प्रावधान

ट्रायल इन-एबसेंशिया का भी प्रोविजन किया गया है। इस पर कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं कि इस देश में ढेर सारे मुकदमे हैं। देश को हिला देने वाले मुकदमे हैं, चाहे मुम्बई बम ब्लास्ट का केस हो या कोई और केस हो। वे लोग पाकिस्तान में या किसी और अन्य देशों

में शरण लेकर बैठे हैं, जिसकी वजह से ट्रायल नहीं चलती है। अब उनकी यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिनों के अंदर अगर वे कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा तथा फांसी भी होगी। जिसके कारण हम उनको वहां से लाने की प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में हो तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने प्रावधान कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। पहली बार अपराध करने पर एक-तिहाई सजा का जो प्रोविजन है, उसके तहत अगर एक-तिहाई अंडर ट्रायल कर लिया तो उसको मुक्ति दे सकते हैं। बाकी सभी मामलों में वन-हाफ किया है, जो गंभीर प्रकृति के हैं जैसे हत्या, डकैती आदि।

पहले जजमेंट सालों-सालों तक नहीं आता था। अब यह हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिनों के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा। वे इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है। सजा निर्णय देने के सात दिनों के अंदर ही अपलोड करनी पड़ेगी। उसको आप लटका नहीं कर सकते हैं।

हम एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए हैं

दया याचिका के लिए नए नियम

फिर दया याचिका के मामले आते हैं। पहले सालों तक दया याचिका करते ही नहीं थे। पहले दया याचिका कोई एनजीओ करता था या दूर-दूर के लोग करते थे। दया तो वही मांग सकता है, जिसको दंड मिला है। दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं है। उच्चतम न्यायालय की अपील खारीज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी। बाद में आपको इसका अधिकार नहीं होगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का प्रावधान भी इसमें हमने तय कर दिया है।

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता

महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए हैं। ई-एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है तो महिलाओं को मिलने वाली है। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध का किसी के सामने वर्णन करना बड़ी संकोच की बात है। आज ई-एफआईआर से हर कोई एफआईआर कर सकता है तथा कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करवा सकती है। उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और दो दिनों के अंदर ही घर पर आकर उसका जवाब लेने की व्यवस्था भी महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत है। नए विधेयक के अंदर ई-एफआईआर का हमने जो जिक्र किया है, उससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने बहुत तवज्जो देकर कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है।

नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर माननीय प्रधानमंत्री बने, तब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक एनएफएसयू के सात परिसर और दो ट्रेनिंग एकेडमीज नौ राज्यों में खुल चुकी हैं

टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर

हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगहों पर पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरणों में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही में निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी।

हम एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए हैं। हमनें एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग का कम्पलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी पुलिस घर पर जाकर जब्ती करती है, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करते

हैं, तो उसकी भी यह हो जाएगी और तलाशी की भी हो जाएगी। इससे किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और बलात्कार के मामले में भी पीड़िता का बयान कम्पलसरी करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। वह लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जिससे वगदार आदमी आने के बाद, वह बयान को बदलवा नहीं सकता। दूर-दूरस्थ के गांवों में बयान ले लिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने किया है, तो बयान बदल भी दिए जाते हैं। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी तीन कॉपीज, तीन जगहों पर एक हॉस्पिटल, एक पुलिस थाने और एक न्यायाधीश के यहां 24 घंटे में पहुंचानी है। जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी।

फॉरेंसिक साइंस के उपयोग पर महत्व

इसके साथ-साथ हमने फॉरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है। अगर हम दुनिया भर की अदालतों का विश्लेषण करते हैं, तो हमारे यहां सजा कराने की दर बहुत कम है। अगर इसको बढ़ाना है, तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना होगा। इसलिए इस बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए और 90 प्रतिशत कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने एक प्रावधान किया है कि सात सालों से ज्यादा सजा जिस गुनाह में है, उन सभी में एफएसएल टीम की विजिट को कम्पलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल टीम की विजिट कम्पलसरी होगी।

अब विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में कंसर्न्स पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कम्पलसरी करनी पड़ेगी

मान्यवर कई लोग कहते हैं कि कब होगा, तो मैं इसके बारे में बताता हूं। नरेन्द्र मोदी सरकार टुकड़े-टुकड़े में नहीं चलती है। नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर माननीय प्रधानमंत्री बने, तब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी

बनाई और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक एनएफएसयू के सात परिसर और दो ट्रेनिंग एकेडमीज नौ राज्यों में खुल चुकी हैं। पांच सालों के बाद, मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर साल 35 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहां से बाहर निकलेंगे, जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वैन का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। दिल्ली में, जो सात साल वाला प्रोविजन है, इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा, जब राज्य में फॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा। हमने इसमें पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पूरा राज्य— चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है। मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई, तो उस शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं। वह कम्पलसरी हो जाएगा। अगर एक क्षेत्र में हो गया, तो एक क्षेत्र में करेंगे, एक जिले में हो गया, तो जिलों को करेंगे। जब सब समाप्त हो जाएगा, तब पूरे राज्य को नोटिफाइड करेंगे।

जमानत और बॉन्ड को भी सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है। हमने घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का भी प्रावधान कर दिया है

इसके माध्यम से सजा कराने की बहुत बड़ी क्षमता प्रोसीक्यूशन की बढ़ेगी। लगभग दो हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिए हैं और 30 राज्यों तथा संघ क्षेत्रों ने इसका काम भी चालू कर दिया है। हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ भी बना रहे हैं।

जीरो एफआईआर कम्पलसरी

जीरो एफआईआर के बारे में कई लोग कहते हैं कि जीरो एफआईआर पहले से थी, लेना कम्पलसरी नहीं था। आपको कोई भी व्यक्ति न बोल सकता था। इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी, जिससे इसकी पुष्टि हो जाए। अब विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कम्पलसरी करनी पड़ेगी।

यह जीरो नम्बर की एफआईआर विक्टिमों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है, क्योंकि दबंग ध्यान पुलिस स्टेशन का ही रखता है कि मेरे खिलाफ फरियाद लिखवाने गए या नहीं गए? वह ध्यान रखता ही रह जाएगा, किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसको बुलाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है। जब कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं, इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी। अगर मेरा रिलेटिव किसी थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस को मुझे इनफॉर्म करना पड़ेगा, किसी को अज्ञात स्वरूप से, अनअथॉराइज्ड कब्जा रखकर नहीं रख पाएंगे। पुलिस अधिकारी को 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या डिजिटल माध्यम से देनी होगी। यौन हिंसा के माध्यम से पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करना है। अगर वह उपलब्ध नहीं है, ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो महिला पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में इसको दर्ज किया जाएगा। जहां तक हो सके बयान रिकॉर्ड करते वक्त उसके माता-पिता या अभिभावक को भी उपस्थित रखने का प्रयास किया जाएगा।

सज़ा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया है। यदि मृत्यु की सज़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती है

समरी ट्रायल में तेजी आएगी

हमने सरलता लाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे समरी ट्रायल में अब तेजी आ जाएगी, पहले दो वर्ष तक थे, अब तीन वर्ष तक कर दिए हैं। कम गंभीर मामलों में अब 'समरी ट्रायल' हो जाएगा तो ट्रायल जल्दी होगी। सिविल सर्वेंट्स के विविध प्रोसीक्यूशंस, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुनाह रजिस्टर्ड होते थे, उनको मंजूरी की जरूरत होती थी, सालों-सालों तक बाबू मंजूरी देने ही नहीं देते थे। अब अगर 120 दिन में रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको मंजूरी मानकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चला लिया

जाएगा, अब इस पर कोई बैठ नहीं सकता है। सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी उसका जवाब देने के लिए ट्रांसफर होते रहते हैं, प्रमोशन होते रहते हैं। जब डीजी बनते हैं, तब डीएसपी के जवाब देने जाते हैं। अब उसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फाइल के आधार पर जवाब देगा। उस व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट को जरूरत लगे तो हमने इसकी ऑनलाइन गवाही लेने का प्रावधान भी कर दिया है। जमानत और बॉन्ड को भी सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है। हमने घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का भी प्रावधान कर दिया है।

कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं है, भाग जाएगा और सालों-सालों तक केस लंबित रहेंगे। उसकी अनुपस्थिति में केस तो चलेंगे, मगर उसकी सम्पत्ति की कुर्की भी की जाएगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड वाले को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान कर दिया है, जिससे देरी न हो। उसमें बहनों पर अत्याचार का मामला भी हमने ले लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को हमने दस्तावेज़ की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को दस्तावेज़ माना जाएगा

मैंने सबसे बड़ा जो कहा, trial in absentia— कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ी आवाज भी उठाई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुनाह करके जो देश से बाहर भाग गए हैं, उनके प्रति आपके दिल में क्या सिम्पैथी है? आप मुझे बताइये। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं, कश्मीर में आतंकवाद करके पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं, क्या उनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है।

आपकी उसमें क्या सिम्पैथी है? अब ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ या न आओ, आपको सज़ा भी होगी और आपकी सम्पत्ति भी जाएगी। यह देश ऐसे नहीं चल सकता है। अगर न्याय ही चाहिए, तो कानून

की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है कि न्याय में सज़ा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसको भी हमने यहां पर डाला है। इसका अधिकार बनाया है।

नयी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम

हम नयी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आए हैं। हर राज्य को इसे घोषित करना पड़ेगा। हमने इसके अन्दर घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया है। सज़ा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया है। यदि मृत्यु की सज़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती है। अगर आजीवन कारावास है तो सात साल की अवधि तक सजा भोगनी ही पड़ेगी और यदि सात वर्ष या उससे अधिक की सजा है, तो कम से कम तीन साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग करके एक साल में ही भले ही कितना भी गंभीर अपराध हो, वह बाहर आ जाए, ऐसा अब नहीं होगा। इस बात को हमने कानून के अन्दर सुनिश्चित कर दिया है। अगर कोई आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय करके सम्पत्ति जमा की है, तो अब उसको भी न्यायालय राज्यसात करेगा और उसको हराजी करके राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा।

अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल और कोर्ट, इन सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने की कगार पर है

सम्पत्तियों के निपटान के लिए एक बड़ा कदम

सम्पत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।

हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते-करते आए हैं। हम लोग सैंकड़ों बार पुलिस थाने गये होंगे। आप बाहर जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो, ढ़ेर सारी साइकिलें, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पोज़ पड़े होते हैं और उन टेम्पोज का कई बार हम से ज्यादा आयुष्य होता है। अगर वह वर्ष 1950 में पकड़ा गया है और उसका केस पड़ा रहा तो पूरा पुलिस स्टेशन के परेड का पूरा मैदान ऐसी ही सम्पत्तियों से भरा पड़ा रहता है।

हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो सम्पत्तियां पड़ी हैं, अदालत के मैजिस्ट्रेट को उनकी विडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके, अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर इनको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट में दी जाएगी। इससे सारे पुलिस स्टेशंस साफ हो जाएंगे। इससे कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है। कब तक वे बीस-बीस साल तक पड़े रहेंगे। वे व्हीकल्स भी किसी के उपयोग के नहीं रहेंगे। यदि वे मालिक को वापस भी मिल जाएं, तो उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा।

कई जगहों पर आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं हैं और आईपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। इससे वे लोग बचकर निकल जाते थे। अब उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए हैं

हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किये हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज़ की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को दस्तावेज़ माना जाएगा। पेन ड्राइव के अन्दर चार्ज शीट दी जाएगी, पेन ड्राइव के अन्दर कोर्ट को भी चार्ज शीट दी जाएगी, पेन ड्राइव के अन्दर विक्टिम को भी दिया जाएगा और लॉयर्स को भी दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रेकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानांक जोड़े गये हैं और उसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट के लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक

प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है।

दस्तावेज़ों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करना हमने कम्पल्सरी किया है। अब पहली बार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रेकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाणपत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है।

इसके लिए हमने ढेर सारे, 22 थानों के लिए भी, बड़ी एक्सरसाइज़ की है। नैशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्स्पर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्स्पर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम करके, कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श करके, इस पूरी प्रक्रिया को चिह्नित कर दिया गया है।

दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय-प्रक्रिया

मैं इतना सुनिश्चित कर सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया बन जाएगी।

बीएनएसएस के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया है। उसमें हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए हैं। उलटा, वे जल्दी छूट जाएंगे, क्योंकि एक-तिहाई सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून में नहीं था। उसके पहले कोर्ट तो जमानत दे ही सकती है

इसके लिए पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है। उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे-जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हमने आईसीजेएस के माध्यम से ढ़ेर सारे पुलिस स्टेशंस, 97 परसेंट पुलिस स्टेशंस को कम्प्यूटराइज्ड करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल और कोर्ट, इन सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने की कगार पर है। इसके माध्यम से ढ़ेर सारी देरी से

न्याय मांगने जाने वाले हमारे जो नागरिक हैं, उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा।

इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेज, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को इसकी इनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। इसके माध्यम से एफएसएल यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो-जो नई टेक्नीक आती जाएगी, उसको भी समाहित करने का सुझाव समय-समय पर देती जाएगी। इसको हम समाहित करेंगे। इस चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग-अलग प्रकार के सवाल उठाए हैं। एक का तो मैंने पहले ही जवाब दिया था कि आतंकवादी कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है, तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य को समाहित करने का क्या तर्क है?

हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है और हर जिले और थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिसे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा

एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुनाह रजिस्टर होगा। इसे करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दो कानून अप्लाई नहीं होंगे। कई जगहों पर आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं हैं और आईपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। इससे वे लोग बचकर निकल जाते थे। अब उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए हैं। मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति सिर्फ संसद में नहीं रखनी चाहिए, इसके आशय भी बताने चाहिए कि यह आपत्ति दर्ज करके हम किसको बचाना चाहते हैं?

बीएनएस के खंड 69 में पहचान छुपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छुपाना चाहती हैं। इसमें कोई और बच नहीं पाएगा, मैं सदन को यह

आश्वस्त करना चाहता हूं।

एक सुझाव आया कि दया याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं। अगर, जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, उसको अपने गुनाह का अहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह करके अगर पछतावा नहीं होता है, उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है, जो अपने कृत्य पर पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मानता, मेरा मन यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कृत्य किया है। क्या उस पर दया की जाए? मैं सहमत नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।

बीएनएसएस के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया है। उसमें हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए हैं। उलटा, वे जल्दी छूट जाएंगे, क्योंकि एक-तिहाई सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून में नहीं था। उसके पहले कोर्ट तो जमानत दे ही सकती है।

हमारे संविधान की जो स्पिरिट सबके साथ न्याय की है और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, उसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह आयी कि वीडियोग्राफी का प्रोविजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने पर क्यों नहीं है? हम सबको मालूम है कि पुलिस का बयान आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। वह धारा 161 का बयान होता है। कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है और इसीलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा उचित नहीं है। यह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खंड 250 और 262 अलग-अलग प्रकार के ट्रायल के लिए हैं। सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा, सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है, इसके लिए खंड 262 है,

तो दो अलग-अलग ही हैं। माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था कि क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। यह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी। मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया, तो 15 दिन समाप्त हो गए। हमने यह प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी हो गई, आप अस्पताल में चले गए, कोई बात नहीं, अच्छे हो जाओ। अच्छा होने के बाद उन 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा, तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है और इस बीच कोर्ट जमानत भी दे सकती है, इस प्रोविजन को भी हमने रखा है, तो इसका जमानत पर भी असर नहीं होगा और कुल दिन भी नहीं बढ़ेंगे।

डी. के. बसु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है और हर जिले और थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिसे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। यह कहा गया कि किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आगे बताया है कि कई जगह पर पुलिस की शक्तियों को कम भी किया गया है, कई जगह पर उस पर नजर रखने की व्यवस्था भी हमने की है। इसके साथ-साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है। मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, तो ऐसे हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद भर्तृहरि महताब जी ने दो-तीन प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111, इन दोनों को, जब बिल फिर से पेश किया गया है, इसमें बदलाव करके ही, आपके सुझाव भी बिल के बदलाव में समाहित किए गए हैं।

दूसरा, उन्होंने कहा कि फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है। मैं मानता हूं कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए, उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है। एक प्रकार से इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और 'चैक एंड बैलेंस' इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा है, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन

जाएगा। कोई पुलिस स्टेट, हमारा शासन है, तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए ये कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए हैं।

मैं तीन आफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तीनों कानूनों में 'द्वितीय' शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही प्रकार के नाम के दो बिल एक साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे। ऐसा संसदीय टेक्नीकल, संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। दूसरा, मैंने डाक्टर को गैर इरादतन हत्या में कम सजा का प्रोविजन किया है। ये तीनों प्रोविजन्स को भी मैं लेकर आया हूं।

मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से कम से कम सौ साल तक जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान हमने इसमें किए हैं। फोरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता और दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने जा रहा है, ये ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिह्न समाप्त करके सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है। हमारे संविधान की जो स्पिरिट सबके साथ न्याय की है और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, उसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें सहमति दीजिए। मोदी जी का एक और वादा आज इन कानूनों के माध्यम से देश की जनता को दिया जा रहा है। इसे अपना समर्थन दें।

❑❑❑

राज्यसभा

'यह कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है'

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का उत्तर दिया। लोकसभा ने चर्चा के बाद इन विधेयकों को 20 दिसंबर, 2023 को पारित कर दिया था। राज्यसभा में श्री अमित शाह के उत्तर का सारांश निम्नवत है:

सभापति महोदय, आज मैं राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल ही लोक सभा ने इन तीनों विधेयकों पर अपनी मोहर लगा दी है। आज उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता कि भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा।

'आपराधिक कानून' और 'आपराधिक प्रक्रिया' हमारी कन्करेंट लिस्ट में हैं, परंतु कई सालों से, आईपीसी 163 सालों से, सीआरपीसी 125 सालों से और एविडेंस एक्ट 150 सालों से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे— उन्हीं एक्ट्स से आज तक हम गवर्न हो रहे थे। नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर बदलाव करके, उनको समाप्त करके भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत की है।

हम इन पर अगस्त, 2019 से ही विचार-विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे। मुझे आनन्द है कि आज मैं इस महान सदन के सामने इनका परिणाम लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। सिर्फ कानूनों के

नाम नहीं बदले हैं, बल्कि इनके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है।

पुराना कानून केवल ब्रितानी शासन की रक्षा के लिए

इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों को सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और इनका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा था। इनमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, उसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढ़ें, तो नहीं दिखाई पड़ती थी। धाराओं के क्रम से भी यह इंगित हो जाता है। मानव हत्या या किसी मां-बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है! परंतु पहले ट्रेज़री के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इनकी प्राइयॉरिटी ऊपर थी, जबकि मानव हत्या की प्राइयॉरिटी और बहन-बेटी के साथ अत्याचार की प्राइयॉरिटी बहुत नीचे थी, क्योंकि अंग्रेज शासन का यह उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य उनको दंड देने का था, जो शासन के खिलाफ काम करते थे। उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उनको न्याय देने का नहीं था।

आज मैं जो तीन बिल्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इन तीनों बिल्स का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, बल्कि न्याय देने का है, इनमें न्याय का विचार है

आज मैं जो तीन बिल्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इन तीनों बिल्स का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, बल्कि न्याय देने का है, इनमें न्याय का विचार है। हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अंब्रेला टर्म है। 'न्याय' शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित करके न्याय की एक संपूर्ण कल्पना है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप नए कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो

पाएंगे कि भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इनके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ आबादी के देश को दी है, इसकी भी परिपूर्ति करने का इन तीनों बिल्स के अंदर प्रयास किया गया है। इन कानूनों की आत्मा भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगा, जिसका मुझे बहुत गर्व है।

भारतीय न्याय की परिकल्पना सबसे महान व उदार है

भारतीय न्याय संहिता के खंड-2 में डेफिनिशन दी गयी है। डेफिनिशन के अन्दर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूं कि समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन हैं, उनमें वह सबसे उदार चरित कल्पना है। उस उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी - इन सारी व्याख्याओं का हमारे यहां 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। आज मुझे लगता है, जब यह एक्ट बनाने के लिए विचार-विमर्श होता था, तो ढेर सारे लोगों से मैंने विचार-विमर्श किया था। उस वक्त लैटिन कान्सेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन कान्सेप्ट को भी देखा है, आइरिश कॉंसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे भारतीय पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, वह विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित और सबसे महान है। इस कल्पना के आधार पर हमने यहां पर इसको लिया है। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया है, इतना ही नहीं है, हमने इसको - मैं

जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी - इन सारी व्याख्याओं का हमारे यहां 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है

आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, कि जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्दर होगा, तो वह भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्दर होगा। ज़ीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केसेज़ के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है।

बड़ा व्यापक है 'स्वराज' का अर्थ

कई लोग बाहर सवाल करते हैं। यहां तो वे बैठे नहीं हैं। अगर वे यहां बैठकर पूछते, तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूं और मानता हूं कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वे कहते हैं कि नये कानून की जरूरत क्या है? उनको 'स्वराज' का मतलब ही मालूम नहीं है। 'स्वराज' का मतलब 'स्वशासन' से नहीं होता है। 'स्व' शब्द सिर्फ 'शासन' से जुड़ा हुआ नहीं है। 'स्वराज' मतलब - 'स्वधर्म' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वभाषा' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वसंस्कृति' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है और 'स्वशासन' को जो प्रस्थापित करे, वह 'स्वराज' है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। गांधी जी ने 'स्वराज' की लड़ाई लड़ी थी और आज तक आप 75 सालों में से करीब-करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे, लेकिन 'स्व' को जाग्रत करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, 'स्व' को जाग्रत करने का काम किया है और वही आज भारत के उत्थान का कारण बना है।

'स्वराज' का मतलब 'स्वशासन' से नहीं होता है। 'स्व' शब्द सिर्फ 'शासन' से जुड़ा हुआ नहीं है। 'स्वराज' मतलब - 'स्वधर्म' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वभाषा' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वसंस्कृति' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है और 'स्वशासन' को जो प्रस्थापित करे, वह 'स्वराज' है

लोकतंत्र में 'बैलेंस ऑफ वर्क' की एक टर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली, जो अभी हमारे देश के अन्दर काम कर रही है, उसमें यह बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अन्दर 'बैलेंस ऑफ वर्क' का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि 'बैलेंस ऑफ वर्क' को कितना फाइन ट्यून करके इस कानून के अन्दर हमने प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को तथा सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून का सम्पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 'तारीख पे तारीख' का जमाना जाएगा और तीन साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अन्दर प्रस्थापित होगी।

अंग्रेज चले गए, लेकिन पूरे देश में चार प्रकार की न्याय प्रणालियां चलती रहीं। इस कानून के आने के बाद अब कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक एक ही प्रकार की न्याय-प्रणाली चलेगी

ये लोग जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि आज इस कानून को इस सदन का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, Criminal Justice System, 19वीं सदी से निकल कर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधे प्रवेश करेगा। इस कानून से क्या होगा? तो हम मूल भारतीय परम्परा की न्याय की अवधारणा का समग्र विश्व से परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। जो पूछते हैं कि इससे क्या होगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली उपस्थित होगी।

पूरे देश में चलेगी एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली

जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान हैं, वे सारी तकनीक और आने वाले 100 सालों

तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, उन सारी तकनीकों को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन करके समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया है। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सभी घृणित अपराधों के लिए सात साल से ज्यादा की सजा है। हमने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विजिट को कम्पलसरी किया है, जिससे 'कन्विक्शन-रेश्यो' में बढ़ोतरी होगी। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन पूरे देश में चार प्रकार की न्याय प्रणालियां चलती रहीं। इस कानून के आने के बाद अब कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक एक ही प्रकार की न्याय-प्रणाली चलेगी।

जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात होती थी, तो वह आप विदेश से आए हुए कॉन्सेप्ट्स और एनजीओज़ के थोपे गए विचारों से करते थे। मैं यह बताना चाहता हूं कि मातृशक्ति के लिए हमारा जो परंपरागत सम्मान है, इस कानून के अंदर उस सम्मान को हम कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 सालों तक और चार दशकों तक आतंकवाद का दंश झेलने के बाद भी इस देश की आपराधिक न्याय-प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनिशन नहीं थी। नरेन्द्र मोदी जी ने zero tolerance towards आतंकवाद का परिचय देते हुए आतंकवाद की परिभाषा को इसके अंदर शामिल किया है।

मातृशक्ति के लिए हमारा जो परंपरागत सम्मान है, इस कानून के अंदर उस सम्मान को हम कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं

राजद्रोह अब देशद्रोह में बदला

जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से 'राजद्रोह' अब 'देशद्रोह' में बदल गया है। एक जमाना था

जब इस देश के अंदर ब्रिटिश ताज का शासन था और रानी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर लोग फांसी पर चढ़ा दिए जाते थे। चाहे महात्मा गांधी हों, तिलक महाराज हों या वीर सावरकर हों, वे राजद्रोह के कानून में कई सालों तक जेल में रहे। आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया, इमरजेंसी के अंदर विपक्ष के ढेर सारे नेताओं और ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया। हमने 'राजद्रोह' के अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है। इस देश के अंदर शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र भी है, मगर आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? लोकतंत्र का जो मूल विचार है, उसमें देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। इसको हम इस कानून के माध्यम से ला रहे हैं।

अब न्याय जल्दी मिलेगा, गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पुलिस, वकील, कोर्ट, इन तीनों के लिए समय-मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, तीन साल के अंदर फैसला हाथ में आएगा

जो पूछ रहे हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए थे। एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य के गैंग बन गए, जो संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, लेकिन उन अपराधों में तो उनका केवल हाथ होता था, उनमें दिमाग लगाने वाला कहीं और बैठा होता था। इसको 120बी की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाया जाता था। अब इस कानून के माध्यम से हमने संगठित अपराध के लिए एक नई अवधारणा, एक नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम किया है। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा और जो लिब्रलाइजेशन की बात करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि

पहले छोटे-से गुनाह के लिए जेल में डालने का अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट था। गलती होती है। कोई पहली बार गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, फिर भी गुनाह होता है, ऐसे लोगों को जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न हमने इस कानून के अंदर किया है।

अब जल्द मिलेगा न्याय

जो यह कहते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अब न्याय जल्दी मिलेगा, गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पुलिस, वकील, कोर्ट, इन तीनों के लिए समय-मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, तीन साल के अंदर फैसला हाथ में आएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शंस और 39 नए सब-सेक्शंस जोड़े गए हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी गई हैं, 35 सेक्शंस में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है

जो कहते हैं कि क्या हुआ है - कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर-उधर आ जाता है, गलती से आता है। आज इसकी अपील का निर्णय कौन करता है! प्रॉसीक्यूशन का जो वकील होता है, वही अपील करता है। हमने इसमें Director of Prosecution के अस्तित्व को compulsory कर दिया है, जो पहले advisor था, अब हर जिले में एक Director of Prosecution रहेगा, जो पूरी prosecution की प्रक्रिया से अलग रहकर निर्णय करेगा कि यह अपील योग्य केस है या नहीं है।

जो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश संसद के बनाए हुए कानूनों को समाप्त करके मोदी जी ने भारतीय संसद के गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश इस कानून के पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर चलेगा। वे इस गौरव का अनुभव नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं कि वे इस गौरव का अनुभव नहीं

कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है, वह समझ सकता है कि कितने बड़े गौरव की बात है, मगर जिन्होंने इटैलियन चश्मा पहना है, वे इसे नहीं समझ सकते। देश की जनता को उनसे अब अपेक्षा भी नहीं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शंस

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शंस और 39 नए सब-सेक्शंस जोड़े गए हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी गई हैं, 35 सेक्शंस में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है।

इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिनमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। वे हम पर आरोप लगाते थे कि आप मॉब लिंचिंग को protect करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव हत्या से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और हमने इसको कठोरता के साथ लिया है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सज़ा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में निम्नतम सज़ा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।

> हमने कहा था कि terrorism के प्रति zero tolerance की नीति को लाएंगे और आज 3 hotspot — कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ-ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी हुई है, 73 प्रतिशत मृत्यु में कमी हुई है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 धाराएं

इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 धाराएं होंगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं, और 6 धाराओं को निरस्त किया है। सारे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने वर्ष 2019 से इस कानून को बनाने

की शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास भी किया, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है, मैं बाद में इस पर आता हूं। आज जो कह रहे हैं कि इसे क्यों ला रहे हैं? वे यहां नहीं हैं, मगर मुझे भरोसा है कि वे मुझे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं। इसलिए मैं उनके न होने पर भी जवाब देता हूं कि आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा-पत्र को घोषणा-पत्र मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा-पत्र नहीं कहती है, 'संकल्प-पत्र' कहती है और संकल्प को सिद्ध करती है। आपका इतिहास है, बोलकर भूल जाना, लेकिन हमारा इतिहास है— जो मोदी जी कहते हैं, वह करते हैं।

मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि terrorism के प्रति zero tolerance की नीति को लाएंगे और आज 3 hotspot— कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ-ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी हुई है, 73 प्रतिशत मृत्यु में कमी हुई है। आज आतंकवाद की definition को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को terrorism के दंश से मुक्त कराना है, इसीलिए हम ये बिल्स लेकर आए हैं।

> हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे

हमने संकल्प लिया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला है, यह वादा भी नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि इस देश की मातृशक्ति को इस देश के नीति-निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। विधान मंडलों में और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर आज़ादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

चिरंजीवी हैं हमारे पुरखों के विचार

हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे,

कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। मैं जो पढ़ रहा हूं, वह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन में कर रहे हैं। इसमें व्यास, अत्री, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वात्स्यायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि जैसे अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है, उसको conceptualise करके आज के जमाने के अनुरूप बनाकर इन कानूनों में स्थान दिया गया है और ढेर सारी ऋचाओं को इसकी आत्मा को पकड़ कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है। यदि कोई बारीकी से देखेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से बदला है, आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। आठ हजार साल पहले जो नारद ने बात कही थी, मैं आज बताता हूं। मैं जब इसका अभ्यास कर रहा था, तब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है, वह कभी कालबाह्य नहीं हो सकता है, वह चिरंजीवी है। आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से इन कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं। आज तक जो कानून चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे, जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। जैसे 'United Kingdom' की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, 'Crown ' के प्रतिनिधि, 'London Gazette', 'Jury', 'United Kingdom of Great Britain and Ireland', 'Her Majesty सरकार', 'London Gazette' द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, British Crown' का अपमान, 'England' के न्यायालय की परंपरा और 'Her Majesty Romanian' 'barrister' शब्द का भी उल्लेख था। ये सारे 75 साल तक इस देश के criminal justice में चले गए। इस पर कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। 2014 में इस देश की जनता ने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 2019 से 2024

जब कानून बना, तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानूनों को पढ़ा। इसके बाद हमने इसको Standing Committee को सौंपा

तक पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं कि ये तीनों कानून, जिनकी आत्मा भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उनकी सोच भी भारतीय है। संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन में पेश कर रहा हूं।

किया गया व्यापक विचार विमर्श

हमने ढेर सारा परामर्श किया है। सितंबर 2019 में हमने इसकी प्रक्रिया चालू की। मैंने सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश और सभी हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च अदालत को पत्र लिखे, system Bar Council और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे। वर्ष 2021 में मैंने दोनों सदन के संसद सदस्यों को पत्र लिखा। BPR&D ने 2020 में देश के सभी IPS अफसरों को पत्र लिखे। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी District Collectors को पत्र लिखे, क्योंकि District Collectors भी criminal justice system का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। 2020 में इन सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया। वर्ष 2020 से 2023 तक इसके बारे में सोचते-सोचते आज विचारों का जो परिपाक है, उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 न्यायिक academies, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 IPS अफसरों के लगभग 4,200 सुझावों को analysis करके यह कानून बनाया गया है। मैं मानता हूं कि शायद ही किसी कानून पर इतना विस्तृत consultation process हुआ हो। इसके बाद यह जब कानून बना, तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानूनों को पढ़ा। इसके बाद हमने इसको Standing Committee को सौंपा। इसी सदन से हमारे सम्माननीय सदस्य पूर्व DG साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए थे, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि इसके 72 प्रतिशत सुझावों को हमने स्वीकार

देश के 97 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटराइजेशन का कार्य समाप्त हो चुका है और 82 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज़ हो चुका है

कर लिया, जो non-political थे और कुछ सुझाव स्वीकार नहीं हुए थे। हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है। हमने computerization पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि इस पर 2019 से काम चल रहा है।

तीव्र गति से हो रहा डिजिटाइजेशन

देश के 97 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटराइजेशन का कार्य समाप्त हो चुका है और 82 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज़ हो चुका है। ये लोग कहते हैं कि कब होगा, कब होगा? वे प्रधानमंत्री जी को जानते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी कानून आने से पहले जो सोचते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का पूरा नेटवर्क प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये पुलिस स्टेशन ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, अब Zero FIR और e-FIR हो पायेगी। जो FIR की जांच होती है, उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में बताना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा।

82 प्रतिशत काम बिल पारित होने से पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो 18 प्रतिशत कार्य है, उसे भी हम एक साल में समाप्त कर देंगे

मैं आगे forensic के बारे में भी बताता हूं। हमने ICJS के माध्यम से लगभग 8 करोड़ GPFIR का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और e-court के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, e-prison का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, e-prosecution का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और e-forensic भी शुरू हो चुका है। Forensic Science Laboratory, प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल, कोर्ट, सभी पुलिस थाने और गृह मंत्रालय सभी आज आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई अड़चन नहीं है। इसके inter-pillar integration के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू हैं। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके inter-pillar integration भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटा बेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। National Automatic Fingerprint Data, वह

भी एकीकृत हो जाएगा, Investigation Tracking System for Sexual Offences, वह डेटा भी integrate हो जाएगा, National Integrated Database on Arrested Narcotic Offenders, integrate जाएगा, National Database on Sexual Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, Crime Multi-Agency Centre, MAC, वह भी integrate हो जाएगा, तो सारी आर्थिक गुनाह की चीजें भी integrate हो जाएंगी, Integrated Monitoring of Terrorism (MoT), वह भी integrate हो जाएगा, National Database on Human Trafficking Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, Track Child, वह भी integrate हो जाएगा, Immigration Visa and Foreign Registration Tracking System, IVFRT, वह भी integrate हो जाएगा, वाहन, सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हों, वे भी इसके साथ integrate हो जाएंगे।

विक्टिम को आज तक FIR की निःशुल्क कापी की व्यवस्था नहीं थी, अब हमने इसकी व्यवस्था कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में बताया जाएगा

मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 82 प्रतिशत काम बिल पारित होने से पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो 18 प्रतिशत कार्य है, उसे भी हम एक साल में समाप्त कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कब आयेगा— यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप यह बात समझ नहीं रहे हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो simultaneous काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है और नतीजे लाती है।

ये हमसे पूछते हैं, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। हमने Director of Prosecution की पूरी अवधारणा को डिटेल में कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम किया है। हमने पुलिस की accountability को भी फिक्स किया है। आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारी habeas की अर्जियां हाई कोर्ट्स के सामने आती हैं कि हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई

है, हमारे व्यक्ति को वापस लाइये, वह गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई-रजिस्टर और कागजी रजिस्टर रखना पड़ेगा कि कितने लोग हिरासत में हैं, यह प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिससे किसी को habeas की अर्जी लगानी ही न पड़े। इसके लिए हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है।

तीन वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता किए हैं, जिससे इनके साथ उम्र का और महिलाओं के सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार पर ही इनसे पूछताछ की जाए।

पीड़ित को 90 दिन में मालूम होगी जांच की प्रगति

विक्टिम को आज तक FIR की निःशुल्क कापी की व्यवस्था नहीं थी, अब हमने इसकी व्यवस्था कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में बताया जाएगा। पीड़ितों को पुलिस की रिपोर्ट, FIR और गवाह के बयान ऑनलाइन कम्पलसरी भेजने का प्रावधान किया है। जांच और मुकदमे के विविध चरणों को भी ऑनलाइन पीड़ित को बताने की व्यवस्था की है।

हम जो बिल्स लेकर आए हैं, उनसे जो ढेर सारे छिद्र थे, उनको बंद करने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है

यह कानून विक्टिम सैंट्रिक कानून बना है। पहले के कानून में जो अपराध करता है, उसे दंड देने का उद्देश्य था, इस कानून का जो उद्देश्य है, वह विक्टिम को न्याय देने का है, उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को पुनः प्रस्थापित करने का है। ये इस कानून के बहुत बड़े मूलभूत अंतर हैं। इस बिल के अंदर उसके पार्टिसिपेशन का अधिकार रखा गया है। आप जानते हैं कि पहले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ही आर्ग्यू कर सकता था, लेकिन अब विक्टिम का वकील भी आर्ग्यू कर पाएगा।

हमने इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी दिया है। वह भी क्रिमिनल कोर्ट ही तय करेगी, सिविल दावा नहीं होगा। जीरो एफआईआर से देश भर में कहीं पर भी -

दबंगों के डर से या थाने में कोई मिलीभगत वाला अधिकारी बैठा है और वह एफआईआर नहीं लिखता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति देश भर में कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज़ कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 321 में एक कमी थी और वह कमी यह थी कि विक्टिम की बात सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उसे सुना जाएगा। उसकी एक प्रति निःशुल्क दे दी जाएगी और जब किसी के यहां भी जब्ती होगी, तब इसकी वीडियोग्राफी कंपल्सरी की जाएगी, जिससे पुलिस वहां पर कोई चिह्न पता कर सके। यह वीडियोग्राफी पंचों की उपस्थिति में होगी, जो सर्टिफाइड होगी, जिससे यदि कोई किसी के घर पर कोई चीज़ रख दे, तो किसी भी नागरिक को परेशान न होना पड़े।

हम जो बिल्स लेकर आए हैं, उनसे जो ढेर सारे छिद्र थे, उनको बंद करने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मगर कुछ चीज़ें जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मानवीय अधिकारों में हमारे संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और उसके ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी दी है, अतः हमने इन्हीं के आधार पर यह बदलाव किया है।

अब बीएनएस की धारा 152 के तहत, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसे देशद्रोही माना जाएगा

बलात्कार के अपराध को दिया गया 63 नंबर

पहले बलात्कार धारा 375 और 376 में था, लेकिन अब शुरू में डेफिनेशन वगैरह की बातें आती हैं, धारा 60 से अपराधों का वर्णन होता है, इसमें बलात्कार के अपराध को 63 नंबर दिया गया है। सबसे पहला स्थान महिला के साथ हुए अत्याचार को दिया गया है। हमने गैंग रेप को धारा 70 में डाला है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी इसी के आस-पास डाला है। मर्डर, जो पहले धारा 303 में था, अब महिला और बच्चों के साथ अपराध के बाद सीधा मानव हत्या को लेकर 101 नंबर की धारा अब धारा 300

की जगह पर होगी। किडनैपिंग की धारा को भी आगे बढ़ाया गया है। हमने व्यक्ति के, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के गरिमा को प्रस्थापित करने का काम किया है।

मुझे मालूम नहीं है कि क्या था, शायद कुछ संस्कार होगा, लेकिन मैं बचपन से ही कांग्रेस पार्टी का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं तब से विरोधी रहा हूं, पर मैं उन्हें बारीकी से देखता हूं। वे जब-जब सत्ता में आते थे, तब-तब 124ए, मतलब 'राजद्रोह' का बड़ी मौज से उपयोग करते थे। लेकिन जब सत्ता से बाहर जाते थे, तो कहते थे कि 124ए तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त करना है। लेकिन जब फिर से सत्ता में आते थे, तो फिर 124ए का उपयोग करते थे। इन्होंने 'राजद्रोह' को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आज इस देश के कानून से 'राजद्रोह' को हमेशा के लिए समाप्त कर रही है।

वयस्क महिला के गैंग रेप के लिए भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया है

शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है। आप व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा, आप बोलिए। बदनक्षी का प्रावधान है, जो जाना चाहे, वह कोर्ट में जाए, मगर आपको आपराधिक न्याय प्रणाली नहीं झेलनी पड़ेगी, परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनन्द है कि आज वह धारा यहां से समाप्त हो रही है।

इसके साथ ही ये कहते हैं कि आप अलग तरीके से 'राजद्रोह' को 'देशद्रोह' बनाकर लाए हैं। मैं सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले आईपीसी की धारा 124ए में जो शब्द प्रयोग किया गया था, वह था सरकार के खिलाफ। सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत्वा।

सरकार की जगह अब 'भारत' शब्द का प्रयोग

अब बीएनएस की धारा 152 के तहत, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसे देशद्रोही माना जाएगा। यह बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है। 'सरकार' की जगह पर 'भारत' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'भारत' नाम उन्हें पसंद ही नहीं आता है, पर मैं क्या कर सकता हूं, इस देश का नाम ही भारत है। जो भारत के खिलाफ कुछ करेगा, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसके खिलाफ धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। हमने देशद्रोह की परिभाषा में आशय की बात करके, उसे बचने का एक और मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनिशन थी, उसमें 'घृणा' और 'अवमानना' शब्द थे, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता था। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते हैं, रानी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, रानी से घृणा नहीं बोल सकते हैं। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, अब घृणा और अवमानना शब्द हटाकर, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थ तंत्र को नुकसान पहुंचाना शब्द डाले गए हैं। ये सारे उद्देश्य शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए हैं, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए नहीं हैं। मगर मुझे मालूम है कि मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहेंगे। उनकी तो इच्छा थी कि यह मूल स्वरूप में ही चालू रहे और कभी हमारा नंबर लग जाएगा, तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है।

> **70,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वे कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है**

महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध के लिए कठोर कानून

महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं, उनके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बनाए हैं। इसके साथ इसकी फाइन ट्यूनिंग की है।

नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में कम आयु की महिलाएं डाल दी हैं, जो पहले 15 साल था । वयस्क महिला के गैंग रेप के लिए भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया है। धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया है। हमने ढेर सारे काम किए हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का काम भी किया है। जो सबसे बड़ा प्रोविजन किया गया है, वह यह है कि हमने धारा 113 (1) में टेररिज्म की डेफिनिशन दी है, आतंकवाद की डेफिनिशन दी है। कल लोक सभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि देश की संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रही है, तो भला मेरे मन में क्यों भय जागेगा? अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है, तो इससे मेरी सुरक्षा ही होगी। भय किसके मन में जागेगा, कराने वालों के मन में जागेगा! मगर मैं देश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हमने इसका दुरुपयोग होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इसे पूरा सोच-विचार करके लेकर आए हैं।

भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में तीन साल की सज़ा प्लस जुर्माने का नया प्रावधान स्नैचिंग के लिए किया गया है, जिससे किसी को इसमें से लूपहोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे

आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कानून

हमने व्याख्या की है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सम्प्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से, या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, तो उसे आतंकवादी माना जाएगा। मैं मानता हूं कि किसी को इस कैटेगरी में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में पड़ते हैं, इसमें आते हैं, तो निश्चित रूप से मानकर चलिएगा

कि आप कठोर से कठोर दंड के भागीदार होंगे। हमने बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीली गैसों और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने, बेचने या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहा है। इसमें ऐसी क्या गतिविधि है, जिसका दुरुपयोग हो जाएगा? क्या जहरीली गैसों को जनता के बीच में उपयोग करना चाहिए, बम विस्फोट करने चाहिए, डायनामाइट से बिल्डिंग्स उड़ानी चाहिए? जो 70,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वे कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। इस डेफिनिशन के सभी पुलिस स्टेशंस में जाने के बाद, मैं मानता हूं कि इसकी गति और तेज होगी और देश आतंकवाद से पूर्णतः मुक्त होगा।

इसमें कहीं पर भी और किसी पर भी अन्याय होने की बात नहीं है। इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की गई है। पहले संगठिन अपराध में जो ब्रेन होता था, वह कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वह धारा 120 से नहीं, बल्कि सीधे इसमें अपराधी बनेगा। इसके अलावा आर्थिक अपराध की व्याख्या का भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जो भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, उनके संबंध में सभी जजमेंट्स की स्टडी करके हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है।

सबसे कम मॉब लिंचिंग की घटनाएं आजादी के बाद अगर कभी हुई हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी के साढ़े नौ साल के कार्यकाल में हुई हैं

गैर–इरादतन हत्या में भी दो बदलाव

हमने गैर-इरादतन हत्या में भी दो बदलाव किए हैं। एक बदलाव यह किया है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उससे टक्कर लग जाती है, लेकिन उसका इरादा नहीं होता है और कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है। फिर वह व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 पर फोन करता है, उसको अस्पताल में पहुंचाता है, तो इससे पता चलता है कि इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए

हमने कम सजा का प्रावधान किया है। मगर जो टक्कर मारता है और विक्टिम को मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस उसको पकड़ कर लाती है, तो हमने ऐसे हिट एंड रन केसेज़ में दस साल की सज़ा का प्रावधान किया है, इससे ऐसे लोगों को दंड मिलेगा।

हमने सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगहों पर 'स्नैचिंग' देखते हैं, चाहे मोबाइल हो या चेन हो, इसके लिए कोई अलग धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में तीन साल की सज़ा के साथ जुर्माने का नया प्रावधान स्नैचिंग के लिए किया गया है, जिससे किसी को इसमें से लूपहोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे।

गंभीर चोट के अपराध को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक तो यह है कि किसी ने किसी को मारा, थोड़ी इंजरी हुई और ड्रैसिंग वगैरह करके घर चले गए। इसके अलावा अगर आपने किसी को मारा और उससे वह ब्रेन-डेड हो गया या परमानेंस अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने दस साल की सज़ा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बरबाद हो जाएगा।

पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस, यानी कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करनी है। ज्यादा से ज्यादा 60, 90 और 90 दिन तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी 180 दिन में कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया करेगा

हमने 'मॉब-लिंचिंग' को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं कि सबसे कम मॉब-लिंचिंग की घटनाएं आजादी के बाद अगर कभी हुई हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी के साढ़े नौ साल के कार्यकाल में हुई हैं। फिर भी मॉब-लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान किया है।

समय पर जो न्याय मिले, वह ही न्याय

हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर सबसे बड़ा लूपहोल कोई है, तो वह देरी है। न्याय के लिए हमारा मूल दर्शन बताता है कि समय पर जो न्याय

मिलता है, वह ही न्याय है। उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट, तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। आप तो अधिवक्ता हो, कुछ चीजें तो आपको भी पसंद नहीं आएंगी, परंतु यह जरूरी था, क्योंकि सालों-सालों तक किसी को न्याय न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस द्वारा दंडित कार्रवाई का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लिकेशन देने के बाद तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर करना ही पड़ेगा— यह हमने किया है। तीन से सात साल के जो गंभीर मामले हैं, उनमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी सात दिन में जांच करने के बाद, उसको एफआईआर में सात दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों द्वारा नॉन-कॉग्निजेबल केसेज़ की डेली डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। यह अब पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेड़खानी न कर पाए। जांच की जो रिपोर्ट भेजनी है, उसमें पहले था कि भेजनी है, लेकिन समय की मर्यादा नहीं थी। अब हमने कहा है कि जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी की रिपोर्ट तुरंत या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। उस पर आप बैठ नहीं सकते हो और पीछे से कुछ डाल नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चिकित्सा जांच— पहले इसका कोई समय निर्धारित नहीं था, अब हमने समय निर्धारित कर दिया है कि सात दिन के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर को चिकित्सा जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी।

> पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कई सालों तक पेश नहीं होते थे, हमने 30 दिन में पेश होने के लिए कहा है

अब 90 दिन तक करनी है चार्जशीट

पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस, यानी कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करनी है। ज्यादा से ज्यादा 60, 90 और 90 दिन तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी 180 दिन में कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया

करेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए पहले कोई समय नहीं था, अब 14 दिन निश्चित कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 60 दिन निश्चित कर दिया गया है। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के लिए अर्जी का एप्लिकेशन कमिटल से 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा और एक साथ करना पड़ेगा। पहले 35 आरोपी एक के बाद एक ऐसा करते थे और 10 साल तक केस चलता रहता था। 'प्ली-बारगेनिंग' के लिए आरोपी आरोप तय करने से 30 दिन के अंदर ही 'प्ली-बारगेनिंग' की अर्जी दे सकते हैं, जजमेंट के वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रायल की प्रक्रिया में दस्तावेजों की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी।

हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन किया है— trial in absentia. इस देश में ढेर सारे लोग बम धमाके करके दुनिया में कहीं न कहीं छुप कर बैठे हैं। हम उनको सजा नहीं करा पाते। सजा कराने से क्या होगा! कल ऑपोजिशन के द्वारा एक ऐसा भी विकृत तर्क दिया गया कि वे तो बाहर बैठे हैं। सजा होते ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको यहां भेजने की बाध्यता आती है। इन लोगों को इसकी समझ नहीं है। मैं अलग दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति हूं। अगर मुम्बई धमाके में 300 लोगों को मार कर कोई कहीं जाकर छुप कर बैठा है, जब भारत का कोर्ट उसकी अनुपस्थिति में उसको फांसी की सजा सुनाएगा, तो आगे ऐसा करने वालों के ज़ेहन में भय का निर्माण होगा। देश के हजारों करोड़ रुपए लूट कर जो विदेश में बैठ गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगा, सजा भी हो पाएगी। अगर इसके खिलाफ आपको अपील करनी है, तो यहां आइए, भारत के न्याय के सामने सरेंडर करिए और फिर अपील करिए। मैं मानता हूं कि हमने यह बड़ा युग परिवर्तनकारी फैसला किया है।

हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि crime scene, investigation और trial— इन तीनों चरणों में टेक्नोलॉजी को हमने compulsory भी किया है और कानूनी जामा भी पहनाया है

पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कई सालों तक पेश नहीं होते थे, हमने 30 दिन में पेश होने के लिए कहा है। अब अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे देना है, बाद में उसको कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। वह नहीं आएगा, तो कोर्ट का केस चालू हो जाएगा। हमने जमानत के लिए भी बड़ा लिबरल निर्णय लिया है। पहली बार अपराध करने वाले ने अगर एक-तिहाई सजा भुगत ली है, मैं 7 साल से नीचे के केस की बात कर रहा हूं, तो जमानत मिल जाएगी और सभी मामलों में आधी सजा हो गई है, अगर उसने दूसरी बार भी अपराध किया है, तो उसको जमानत मिल जाएगी। जजमेंट और सजा, यह 45 दिन के अंदर न्यायमूर्ति महोदय को पूर्ण कर देनी है। आप इसको महीनों तक लिंगर-ऑन नहीं कर सकते। सुनवाई समाप्त होने के बाद, जजमेंट रिजर्व करने के बाद 45 दिन में कंपल्सरी जजमेंट देना पड़ेगा। जजमेंट देने के बाद, दोषी घोषित करने के बाद 7 दिन में सजा देनी पड़ेगी।

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अविलम्ब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, वह रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखनी पड़ेगी, रिपोर्ट बाद में देंगे, परन्तु पुलिस जांच के दौरान कोई भी बयान, जो रिकॉर्ड किया गया है, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने e-form के अन्दर रख देना पड़ेगा

दया याचिका के लिए भी ढेर सारे प्रावधान

हमने दया याचिका के लिए भी ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज होने के 30 दिन में ही आप दया याचिका कर सकते हैं। दया याचिका कोई एनजीओ नहीं कर पाएगा। जिसने गुनाह किया है, उसको पछतावा जाहिर करके सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने दया मांगनी पड़ेगी, तभी दया याचिका मानी जाएगी। ऐसी ढेर सारी अर्जियां आती हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है, वे कहते हैं कि हम तो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और कोई जाकर उनकी ओर से दया याचिका करता है। आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, फिर तो दया याचिका आपके ऊपर एप्लाई ही नहीं होती है! आप चढ़िए फांसी पर! जिसके अंदर

पछतावा नहीं है, उसको दया याचिका का अधिकार नहीं है। हमने इसके लिए भी समय की मर्यादा निर्धारित की है।

महिलाओं के प्रति जो अपराध है, इसके लिए ई-एफआईआर से मैं मानता हूं कि ढेर सारी माताएं और बहनें, जो शर्म के मारे पुलिस थाने में नहीं जाती हैं, वे अपने घर से या किसी के मोबाइल से भी इसको एप्रोच कर सकती हैं। इससे उनको बड़ा फायदा होगा। उनका जवाब लेने के लिए, उनको उपस्थित होने के लिए भी महिलाओं की गरिमा का सम्मान इसमें रखा गया है।

टेक्नोलॉजी को बढ़ावा

हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि crime scene, investigation और trial— इन तीनों चरणों में टेक्नोलॉजी को हमने compulsory भी किया है और कानूनी जामा भी पहनाया है। इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित होगी, सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और अपराधी, दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। Criminal justice system को आधुनिक बनाने के लिए इसमें बहुत प्रयास किये गये हैं। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को digitize करने का काम हमने कानून के माध्यम से किया है। इसके लिए लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो अच्छे मन से भी उठा रहे हैं कि यदि तैयारी नहीं होगी, तो क्या होगा। इसके अन्दर हमने प्रोविजन दिया है कि राज्य सरकार किसी एक पुलिस स्टेशन को digitized घोषित कर सकती है, किसी एसपी के सारे थानों को digitized घोषित कर सकती है, किसी range के सारे थानों को digitized घोषित कर सकती है, किसी जिले को घोषित कर सकती है, किसी शहर को घोषित कर सकती है और

दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। इसका मुझे विश्वास है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने सभी मोर्चों पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है

अंततोगत्वा जब सब घोषित हो जाएंगे, तब राज्यों को घोषित करेंगे। तो जैसे-जैसे digitization का काम समाप्त होता जाएगा, notifications निकलते जाएंगे और इसका अमल शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले चंडीगढ़ UT को हम इस कानून के हिसाब से सम्पूर्ण digitize करने का काम समाप्त कर देंगे।

सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ई-मेल एड्रेस रजिस्टर होगा, फोन नम्बर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा और एसएमएस भेजने के बाद, वह एसएमएस खुला है या नहीं खुला है, वह भी रजिस्टर में ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी हमने निर्माण कर लिया है। तो किसी को भागने की कोई नौबत नहीं आएगी।

पहले जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस होता था, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक होती थी, मगर वह मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी होती थी, जिसे वे कभी देते ही नहीं थे। अब हमने तय कर लिया कि अगर 120 दिनों के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है, तो उसको परमिशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अविलम्ब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, वह रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखनी पड़ेगी, रिपोर्ट बाद में देंगे, परन्तु पुलिस जांच के दौरान कोई भी बयान, जो रिकॉर्ड किया गया है, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने e-form के अन्दर रख देना पड़ेगा। हमने एक काम यह किया है कि जिन अपराधों के लिए 7 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, ऐसे सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कम्पल्सरी किया है। इसके लिए ढेर सारी मैनपावर चाहिए। कल लोक सभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया था। वह बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है! हमने 2020 में Forensic Science University बनायी और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांचेज़ बन गयी हैं और अगले साल से हर साल 35,000 Forensic Scientific Officers वहां से graduate होकर निकलेंगे।

हमने mobile forensic science labs के जाल बुने हैं।

मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो लोग निर्दोष छूट गए, उनमें से 32 प्रतिशत लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहां कोर्ट ने कहा है कि prima facie case is there, परन्तु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं, FSL आने से उन लोगों का खराब समय चालू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इनमें से कोई बच कर नहीं निकलेगा।

भारत में होगी दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली

हमने फॉरेंसिक को एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह ई-कोर्ट, ई-प्रिज़न, ई-प्रॉसीक्यूशन, ई-पुलिस थाना, ई-गृह विभाग, ई-जेल और ई-फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। इसका मुझे विश्वास है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने सभी मोर्चों पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी, नागरिकों की सुविधा के लिए भी— मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता— ढेर सारे प्रावधान किये गये हैं। पहले दो वर्ष तक के केस में summary trial की व्यवस्था थी। अब उसे 3 वर्ष तक का करके हमने 40 परसेंट केसेज़ को trial से बाहर निकाल दिया है, इनमें summary trial से निर्णय होगा। तो हमने ज्युडिशियरी का बहुत बड़ा बोझ curtail करने का काम किया है।

> जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल की सांठ-गांठ होती है, तब 20 साल के बाद सजा होती है और तीन महीने में ही अपराधी हार पहनकर स्वागत कराते-कराते जेल से बाहर आते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा

पहले जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस होता था, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक होती थी, मगर वह मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी होती थी, जिसे वे कभी देते ही नहीं थे। अब

हमने तय कर लिया कि अगर 120 दिनों के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको परमिशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा।

पीड़ित सुरक्षा के लिए बनाई गई एक लीक प्रूफ स्कीम

इतना बड़ा देश अब तक जमानत और बॉन्ड की व्याख्या के बगैर चला, वर्बल प्रैक्टिस से चला। हमने पहली बार जमानत और बॉन्ड, इन दोनों को कानून के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की है। अंडरट्रायल कैदियों के लिए भी जैसा मैंने कहा, एक-तिहाई कारावास काट चुके कैदी, जो पहली बार के गुनहगार हैं और उन्होंने कितना भी गुनाह किया है, अगर उनका 50 परसेंट कारावास हो गया है तो उनको जामीन दे दी जाएगी। हम एक नई एविडेंस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रूल्स में होगी और वह सभी राज्यों के लिए कम्पलसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारी जजमेंट्स से स्पिरिट लेकर हमने विक्टिम प्रोटेक्शन की एक लीक प्रूफ स्कीम बनाई है, जो सबके सामने दी जाएगी। इसके अंदर घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रोविज़न भी डाला गया है। अगर कोई संपत्ति गुनाह से अर्जित की गई है, तो अब तक उस संपत्ति को कुर्क करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। सजा होने के बाद पुलिस अलग से एक अर्जी देती थी कि इस गुनाह से इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की है, जिसे अब हम संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था में ले लेंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की संपत्ति कुर्क करने की पद्धति को भी सरल बनाया गया है।

> हम पहले जेल से 15 दिनों में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन अब पूरा ट्रायल ऑनलाइन हो सकता है। अगर कोई गवाह चेन्नई में है, तब भी वह अहमदाबाद के कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है, उसका क्रॉस-एग्जैमिनेशन भी हो सकता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है

इसमें सजा की माफी को तर्कसंगत किया गया है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है, तो उसको एक साल के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर किसी को मृत्यु की सजा प्राप्त है, तो उसको

ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, मृत्यु की सजा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक जाएगी। जिसको आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है, उसमें जब वह सात साल की सजा भोग लेगा, तभी उसको छोड़ा जाएगा। जिसको सात साल या उससे अधिक के कारावास की सजा प्राप्त है, उसे कम से कम तीन साल तक जेल में रहने के बाद ही छोड़ा जाएगा। जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल की सांठ-गांठ होती है, तब 20 साल के बाद सजा होती है और तीन महीने में ही अपराधी हार पहनकर स्वागत कराते-कराते जेल से बाहर आते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। हमने इसके लिए प्रावधान किया है।

मैं संपत्तियों के नुकसान के बारे में कहना चाहता हूं। ये सारे संसद सदस्य मेरी तरह ही नीचे से आए हुए हैं और ये कई बार थानों में गए होंगे, जहां इन्होंने ढेर सारी साइकल्स, ऑटोज़ और टेम्पोज़ देखे होंगे, जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। उन थानों का पूरा परेड ग्राउंड इन संपत्तियों से भरा रहता है, लेकिन अब उनको संभालना नहीं है। उनकी 30 दिन में वीडियोग्राफी करके हराजी कर देनी है, पैसा कोर्ट में जमा करना है और अब उसके लिए नित्य अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है।

दस्तावेज़ों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जोड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी

एक आदमी आज एसपी है, जिसने अपनी पहली पोस्टिंग में किसी की चार्जशीट साइन की है - कई सारे केसेज़ ऐसे होते हैं, जिनमें एसपी का सिग्नेचर कम्पलसरी होता है - जब उस केस की सुनवाई का समय आता है, तब वे डीजीपी बन जाते हैं। जब उनको बुलाया जाता है, तो उस समय उनको न कुछ याद होता है और न ही कुछ मालूम होता है, क्योंकि वह 25-30 साल पुरानी बात होती है। हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि जो एसपी होगा, उसके द्वारा की गई नोटिंग के आधार पर अभी जो एसपी होगा, वही गवाही देगा, डीजीपी को आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मामले में कोर्ट उनसे सीधे पूछताछ करना चाहता है या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना

चाहता है, तो ही उसको सम्मन कर सकता है, मगर यह कोर्ट को निर्णय करना है और उसके अलावा यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।

पूरा ट्रायल हो सकता है ऑनलाइन

हम पहले जेल से 15 दिनों में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन अब पूरा ट्रायल ऑनलाइन हो सकता है। अगर कोई गवाह चेन्नई में है, तब भी वह अहमदाबाद के कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है, उसका क्रॉस-एग्जैमिनेशन भी हो सकता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। अब फोरेंसिक साइंस के लोगों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है और आपको यह सुनकर आनन्द होगा कि अब अधिवक्ताओं को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई असम का केस ले भी सकता है और चला भी सकता है।

इस बिल में हमने ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। हमने छोटे-मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस की व्यवस्था की है, जिससे जेलों का बर्डन घटेगा। यह मानवीय बात भी है कि जब किसी से पहली बार कोई अपराध हो गया है और वह कोई छोटा-मोटा अपराध है, तो उसको जेल में डालकर अन्य अपराधियों की संगत में न रखा जाए। यह बिल भारतीय न्याय प्रणाली में पहली बार कम्युनिटी सर्विस के कॉन्सेप्ट को न्यायिक जामा पहनाने का काम कर रहा है, जिसका मुझे बड़ा आनन्द है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव

इसके साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो युग-परिवर्तनकारी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की है। ई-मेल, server logs, कंप्यूटर आदि की detailed व्याख्या की है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेज़, वेबसाइट और लोकेशन को कानूनी मान्यता दी गई है। सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जोड़ा गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक

माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है। कागज़ी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज़, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ - अब 50 हज़ार पेज की चार्जशीट नहीं आएगी, आपके पास एक पेनड्राइव आएगी, जो आपके वकील के कम्प्यूटर में लगाकर देखना है। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है।

साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मूल अभिलेख matching hash देने पर भी हमने व्यवस्था की है। पूरे ट्रायल को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकें, इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था की है। इसमें हमने न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है, किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे इसको पर्सनली बुलाने की ज़रूरत है, तो उनके पास यह अधिकार है और मैं मानता हूं कि यह अधिकार न्याय के हित में ज़रूरी है।

दस्तावेजों की देरी कम करने के लिए ढेर सारे प्रावधान

दस्तावेज़ों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जोड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी। एफएसएल की रिपोर्ट थाने में जाती है और मिलीभगत से सालों तक कोर्ट में नहीं पहुंचती है। अब compulsory कर दिया गया है कि medical report थाने में भेजोगे, Registrar को भेजोगे तो उसी दिन वह कोर्ट में चली जाएगी, थानेदार भी समझ जाएगा कि कोर्ट में पहुंच गई है, तो वह भी रख देगा। इस प्रकार के ढेर सारे छोटे-छोटे कई बदलाव करके हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कोई कानून कभी परिपूर्ण बन ही नहीं सकता है, समय बदलता है, ज़रूरतें भी बदलती हैं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि सौ साल की technique के अंदर जो बदलाव होंगे— Forensic Science University के साथ बैठ कर, ढेर सारे experts के साथ बैठकर इसको visualize करने का प्रयास किया है, वह technique तो आज है ही नहीं, तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे technique के लिए open हैं और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। हमने बहुत दूर दर्शिता के साथ काम किया

है। इन सारी चीज़ों में इसके electronic certification और इसकी गुप्तता पर भी बहुत ध्यान देकर एक leak— proof सिस्टम बनाने का प्रयास किया है।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कानून आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। जिसके अंदर भारत की मिट्टी की सुगंध भी है, भारत का संस्कार भी है और भारतीय दर्शन भी है। यह विश्व में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली देने वाला कानून बनने वाला है। यह त्वरित मूल भारतीय न्याय के दर्शन को ज़मीन पर उतारने वाला कानून बनने वाला है और यह कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है।

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक बिल में आप भी आशीर्वाद देकर इसे सर्वानुमति से पारित कराने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

❑❑❑

श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतवासियों को बधाई, क्योंकि हमारे देश को अंततः अपना आपराधिक न्याय कानून मिल गया है।

यह बहुत गर्व की बात है कि आज संसद में पारित तीन विधेयक अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह लेंगे और भारत के लिए एक स्वदेशी आपराधिक न्याय प्रणाली को आकार देंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के किसी को भी पीछे न छोड़ने के संकल्प से प्रेरित होकर, यह नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। यह नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाता है।

21 दिसंबर, 2023

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केन्द्रित कानूनों से एक नये युग की शुरुआत होगी।

21 दिसंबर, 2023

भाजपा प्रकाशन विभाग

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002